यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारी:– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 82/2021
बउनवान:–

1. सुरभि
2. लक्ष्मी } पुत्रिया कमलसिंह जाति राजपूत निवासी मूण्डली तह0 मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0

वकील वादीगण : श्री बुद्धि प्रकाश मालव
दायरा दिनांक: 19.07.2021 निर्णय दिनांक : 18.08.2021

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के शामलाती खाते की आराजी ग्राम मूण्डली की खाता संख्या 100 खसरा नं0 172 रकबा 1.42 है0 स्थित है उक्त आराजी में वादीगण का हिस्सा 2/5 दर्ज है। उक्त आराजी में वादी नाबालिग दर्ज है। जबकि वर्तमान में वादीगण बालिग हो चुकी है। वादीगण की शादी भी हो चुकी है। उक्त आराजी की राजस्व रेकार्ड में वादी कम 1 का नाम सहवन से सुल्की दर्ज हो गया है। जबकी वादी कम 1 का सही नाम सुरभि है व वादी कम 2 का नाम सहवन से ससी दर्ज हो गया है जबकि वादी कम 2 का सही नाम लक्ष्मी है। वादी कम 1 के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, अंक तालिका माध्यमिक, पेनकार्ड, राशन कार्ड आदि में वादी कम 1 का नाम सुरभि दर्ज है। व वादी कम 2 के आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंक तालिका माध्यमिक में नाम लक्ष्मी दर्ज है। अतः ग्राम मूण्डली तह0 मांगरोल की खाता संख्या 100 खसरा नं0 142 रकबा 1.42 है0 के राजस्व रेकार्ड में वादी कम 1 का नाम सुल्की के स्थान पर सुरभि व वादी कम 2 का नाम ससी के स्थान पर लक्ष्मी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 19.07.2021 को दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2021/636 दिनांक 02.08.2021 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार राजस्व रेकार्ड ग्राम मूण्डली के नामा0 संख्या 103 तस्दीक दिनांक 27.05.2000 का अवलोकन किया गया जिसमें जर्ये फौती सुल्की एवं ससी नाम दर्ज हुए है

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned with CamScanner

वर्तमान जमाबंदी ग्राम मूण्डली संवत 2073–76 के खाता संख्या 100 खसरा नं0 172 रकबा 1.42 है0 में भी प्रार्थीया के नाम सुल्की एवं ससी है जिसके संबंध में दिनांक 27.07.2021 को गांव मूण्डली में जाकर लोगो से पूछताछ की तो पता चला कि सुल्की एवं ससी बचपन में इनके घरेलु नाम थे। परन्तु सभी सरकारी दस्तावेजो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई डी, दसवी बारहवी की अंकतालिकाएं इनमें इनके नाम सुल्की के स्थान पर सुरभि एवं ससी के स्थान पर लक्ष्मी बतायें है और इस नाम की अन्य कोई मूण्डली ग्राम में नही है। एवं सुल्की एवं सुरभि दोनो नाम एक ही प्रार्थीया के है। एवं इसी प्रकार ससी एव लक्ष्मी दोनो नाम एक ही है। उक्तानुसार नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादीगण की दिनांक 18.08.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में अंकतालिका माध्यमिक, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत महुआ आदि से भी वादीगण कम 1 का सही नाम सुरभि व वादीगण कम 2 का नाम लक्ष्मी होना जाहिर होता है। दस्तावेजात के पक्ष में गवाह वादी कम 2 व हेम कंवर पत्नि कमलसिंह जाति राजपूत निवासी मूण्डली तहसील मांगरोल तथा भंवरसिंह पुत्र कमलसिंह जाति राजपूत निवासी मूण्डली तह0 मांगरोल के बयान करवाये गयें। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 18.08.2021 को अधिवक्ता वादीगण की सुनी गयी बहस के आधार पर आराजी ग्राम मूण्डली की खाता संख्या 100 खसरा नं0 172 रकबा 1.42 है0 की राजस्व जमाबंदी में वादनी कम 1 का नाम सुल्की के स्थान पर सुरभि तथा वादनी कम 2 का नाम ससी के स्थान पर लक्ष्मी जाति राजपूत दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned with CamScanner